(100)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची–2 में संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने एवं हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया है :–

अनुसूची–2

(क) क्रमांक 41 पर "लक्ष्मी नारायण गोला" जोड़ा जाए।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की अनुसूची–2 तदनुसार संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड सरकार के राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मुखत्यार सिंह)

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/जाति निर्धा0–19–02/03 का. 6334 /रांची, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग, रांची को उपलब्ध करायें।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/जाति निर्धा0–19–02/03 का. 6374 /रांची, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/जाति निर्धा0–19–02/03 का. 6374 /रांची, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव।